बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—: : आदेश : :—

आदेश सं०—27/परि0—06—09/2026—सा0प्र0..........पटना—15, दिनांक.....

श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 942/24, अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी के विरूद्ध पीड़ित जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के द्वारा परिवाद पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसके साथ शपथ पत्र संलग्न नहीं है। साथ ही परिवाद पत्र में परिवादी का नाम एवं पता भी अंकित नहीं है।

परिवाद पत्र में श्री कुमार के विरूद्ध बरमा के जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री अखिलेश सिंह के माध्यम से जन वितरण प्रणाली बिक्रेता का शोषण करने की शिकायत अंकित की गई है।

विभागीय परिपत्र संख्या 945 दिनांक 24.06.2005 में स्पष्टतः अंकित है कि अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदन पत्रों/परिवाद पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी, बल्कि उन्हें संचिकास्त कर दिया जायेगा।

प्राप्त परिवाद पत्र की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय परिपत्र संख्या—945 दिनांक—24.06.2005 में निहित प्रावधान के आलोक में इस परिवाद प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 942/24, अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी के विरूद्ध जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा प्रतिवेदित इस परिवाद प्रकरण को **संचिकास्त** किया जाता है।

ह0/-
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—27/परि0—06—09/2026—सा0प्र0...4144...**पटना—15, दिनांक**...27.02.26

प्रतिलिपि :— ~~जिला~~ पदाधिकारी, गया/संयुक्त सचिव—सह—नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री ई—कम्पलाईंस डैशबोर्ड, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के गै0स0प्रे0सं0—552 दिनांक—17.02.2026 के संदर्भ में/श्री मनीष कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 942/24, अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—12, 14 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

स्पीड पोस्ट

27.02.26

सरकार के अवर सचिव।